राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

क्रमाकं:प–3(8)राज–3/96 जयपुर, दिनाकं 17.1.2002

:: परिपत्र ::

विषय: माईनिंग लीज का राजस्व रिकार्ड में अम्लदरामद के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि खनन विभाग द्वारा जारी किये गये लीजो का अंकन राजस्व रेकार्ड में नहीं होता है, जिसके कारण से खनन योग्य भूमि का आंवटन अन्य कार्यो के लिए हो जाता है, जिसके कारण आगे कठिनाईयां पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में इसका निराकरण करने हेतु सभी सम्बन्धित को निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. खनन विभाग के खनि अभियन्ता/अतिरिक्त खनि अभियन्ता माईनिंग ली के क्षेत्रफल, खसरा नम्बर तथा जी.टी. शीट के साथ राजस्व नक्शा की प्रति लगायेगें।
2. इस प्रकार खनन लीजों की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार/पटवारी को जमाबन्दी में अंकन हेतु प्रेषित की जायेगी।
3. सम्बन्धित तहसीलदार/पटवारी राजस्व रेकार्ड में अंकन जरिये नामान्तरण द्वारा करेगें।
4. जो वर्तमान खनन लीज हैं, उनके अंकन के लिए खान व राजस्व विभाग सम्बन्धित क्षेत्र का सर्वे कर खसरा नम्बर तथ उनके क्षेत्रफल का मय राजस्व नक्शा के निर्धारण करेंगे तथा उसका इन्द्राज को राजस्व रेकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. खनिज विभाग सरकारी भूमि के व खसरा नं. जो खनिज सम्भावित एरिया हैं, उनकी सूची तहसीलदार को भेजेंगे, जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नं. के सामने करेंगे। ये इन्द्राज भी रेकार्ड में जरिये नामान्तरण किया जावेगा। ताकि खनिज सम्भावित क्षेत्र आवंटन का नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो सके। सम्बन्धित उप खण्ड़ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के खनिज सम्भावित क्षेत्र का कोई आवंटन एवं नियमन नहीं सके।
6. खनिज विभाग बिन्दू संख्या 5 में उल्लेखित कार्यवाही दिनाकं 15.3.2002 से 15.4.2002 तक अभियनान के रूप में चलाकर एवं सूची बनाकर सम्बन्धित क्षेत्रीय तहसीलदार को भेज कर अंकन सुनिश्चित करेंगे।

...2

उपरोक्त निर्देशों से सभी सम्बन्धित/सभी उप खण्ड अधिकारी/ तहसीलदारों को सूचित करेंगे।

ये निर्देश खनिज विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ह0/–

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, खान विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

ह0/–

शासन उप सचिव